

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड  
(विधि शाखा)

क्रमांक/जेपीडी/अ.अ.(विधि)/भरतपुर-36/प्रे. 1132 जयपुर दिनांक 14-08-12

श्रीमान सहायक अभियन्ता(पवस),  
जयपुर डिस्कॉम,  
रूपबास,

O/O S.E. (IT) JVVNL, Jaipur


R.R. No: 944 16-8-12

विषय:- परिवाद संख्या 69/2012 - राममूर्ति बनाम जयपुर डिस्कॉम जिला मंच  
भरतपुर के आदेश दिनांक 21.05.2012 व अवमानना प्रकरण संख्या 33/12  
सन्दर्भ :- इस कार्यालय के पत्र सं. 806 दिनांक 09.07.2012 व पत्र सं. 789 दिनांक  
18.07.2012 के सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषय में लेख हैं कि उक्त प्रकरण में श्रीमान अध्यक्ष प्रबन्धन एवं निदेशक ,  
जयपुर डिस्कॉम के नाम से अवमानना दायर की जा चुकी हैं , जबकि इस कार्यालय के पत्र  
के सं. 806 दिनांक 09.07.2012 व पत्र सं. 789 दिनांक 18.07.2012 को आदेश की पालना हेतु  
" नो अपील " की स्वीकृती जारी की जा चुकी हैं । उक्त प्रकरण में अवमानना संख्या  
33/12 जिला उपभोक्ता मंच भरतपुर में परिवादी द्वारा अवमानना दायर की जा चुकी है।  
जिसकी आगामी तारीख 14 अगस्त 2012 नियत की गई हे।


अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त प्रकरण के पालना कराकर तथा अवमानना  
प्रकरण में उचित कार्यवाही करके इस कार्यालय को अविलम्ब सूचित करे।

सूचना - ③

  
अधीक्षण अभियन्ता (विधि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता (आई. टी./पवस) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर/ भरतपुर।
2. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, बयाना ।

  
अधीक्षण अभियन्ता (विधि)

XEROXED  
1618  
4-11-12